निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 अग्रहायण 1938 (श0)

(सं0 पटना 1017) पटना, मंगलवार, 29 नवम्बर 2016

सं0 08/आरोप–01–120/2014,सा०प्र०—14841

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

31 अक्तूबर 2016

श्री रामजन्म पासवान, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–1548/04, 1118/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, टेकारी, गया के विरुद्ध सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता बरतने संबंधी आरोप, प्रपत्र 'क' जिला पदाधिकारी, गया के पत्रांक–5849, दिनांक 16.12.2003 द्वारा प्राप्त हुआ।

2. विभागीय पत्रांक–6608, दिनांक 20.07.2005 द्वारा श्री पासवान से उक्त आरोपों पर स्पष्टीकरण माँगी गयी। इस क्रम में श्री पासवान ने अपना स्पष्टीकरण (दिनांक 20.12.2006 तथा दिनांक 08.11.2007) समर्पित किया जिसमें उनके द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन में हल्की त्रुटि की सम्भावना को स्वीकारा गया। इसके उपरांत उक्त प्रतिवेदित आरोपों की गम्भीरता को देखते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–17 (2) के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक–7046, दिनांक 21.07.2009 द्वारा श्री पासवान के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

3. संचालन पदाधिकारी यथा विभागीय जाँच आयुक्त के पत्रांक–390, दिनांक 31.07.2005 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ जिसमें श्री पासवान के विरुद्ध गठित आरोपों को प्रमाणित बताया गया। उक्त जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक–12958, दिनांक 31.08.2015 द्वारा श्री पासवान से लिखित अभिकथन की माँग की गयी। इस क्रम में श्री पासवान ने अपना लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण (दिनांक 06.10.2015) समर्पित किया। जिसमें उन्होंने जाँच प्रतिवेदन को त्रुटिपूर्ण एवं स्वयं के विरुद्ध लगाये गये आरोप को तथ्यहीन दर्शाते हुए आरोप मुक्त करने का अनुरोध किया है।

4. आरोप, प्रपत्र 'क', जाँच प्रतिवेदन एवं आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त लिखित अभिकथन की समीक्षा के उपरांत यह उजागर हुआ कि आरोपित पदाधिकारी ने 18 योजनाओं को बरसात के अत्यन्त निकट आने पर आरम्भ किया, 14 योजनाओं में बिना मापी एवं मस्टर रौल संधारण के ही द्वितीय एवं उसके बाद की अग्रिम राशि विमुक्त कर दी, 04 योजनाओं को बरसात की अवधि में ही मापी कर कार्य पूर्ण दर्शाया गया, 06 योजनाओं के मस्टर रौल के संधारण में बैक डेटिंग की गयी, 01 योजना में भुगतान की स्वीकृति के पूर्व ही चेक निर्गत कर दिया गया तथा 04

योजनाओं में संबंधित अभिकर्त्ता से बिना प्राप्ति रसीद लिये ही चेक निर्गत कर दिया गया। इसके साथ ही कर्णाकित राशि से अधिक की योजनाऐं कार्यान्वयन हेतु ले ली गयी जिसके कारण उनके पूर्ण होने में भी समस्या उत्पन्न हुई।

जाँच पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित इन आरोपों पर आरोपित पदाधिकारी ने अपने स्पष्टीकरण में बरसात के समय कार्य आरम्भ करने के संबंध में यह तर्क प्रस्तुत किया कि किसी अभियंत्रण विभाग द्वारा बरसात के समय कार्य बन्द करने का दृष्टांत उन्होंने नहीं देखा है। इसके साथ ही उन्होंने कनीय अभियंता के अनुशंसा पर अभिकर्त्ता को अग्रिम विमुक्त करने का तथ्य स्पष्ट करते हुए मस्टर रौल के समुचित संधारण नहीं किये जाने के लिए कनीय अभियंता को जिम्मेवार बताया। इस प्रकार श्री पासवान ने अपने लिखित अभिकथन में प्रमाणित आरोपों पर कोई ठोस तर्क प्रस्तुत नहीं किया, जिसके कारण उनका स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री पासवान के विरुद्ध उपर्युक्त आरोपों की प्रमाणिकता के आधार पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–14 के तहत (i) तीन वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक (ii) प्रोन्नति पर चार वर्षों के लिए रोक (प्रोन्नति देयता की तिथि से) का दंड विनिश्चित किया गया। विभागीय पत्रांक–9931, दिनांक 19.07.2016 द्वारा कंडिका–1 में विनिश्चित दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से मंतव्य माँगा गया। इस क्रम में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–2006, दिनांक 03.10.2016 से अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित दंड पर आयोग की पूर्ण पीठ द्वारा प्रदत्त सहमति संसूचित की गयी।

5. अतएव सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के कार्यान्वयन में कर्णाकित राशि से अधिक योजना लेने, अनियमित रूप से अग्रिम विमुक्त करने, मस्टर रौल का समुचित रूप से संधारण एवं सत्यापन नहीं करने आदि वित्तीय अनियमितता के प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–14 के तहत श्री रामजन्म पासवान, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–1118/11 के विरुद्ध निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित की जाती है :–

(i) 03 (तीन) वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।

(ii) प्रोन्नति पर 04 (चार) वर्षों तक रोक (प्रोन्नति देयता तिथि से)।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राम बिशुन राय,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1017–571+10–डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in